भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3361

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

गुजरात में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

3361. **श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत कितनी इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल और डिजिटाइज करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान गुजरात में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में 7,854 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्बाध और डिजिटल पंजीकरण को व्यापार में सहजता के अनुरूप सुविधाजनक बनाने हेतु, उद्यम पंजीकरण पोर्टल वर्तमान में क्रियाशील है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया स्वैच्छिक, नि:शुल्क, कागज़-रहित और स्व-घोषणा आधारित है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार संख्या और पैन के अतिरिक्त किसी भी दस्तावेज़ या प्रमाण को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

*****